न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर ए एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 137 सन् 2017
पंजीयन दिनांक 19.07.2017

1. छोगालाल पिता रामा जाति रावत निवासी चैनपुरिया तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़
2. श्रीमती धापुबाई पत्नि छोगालाल जाति रावत निवासी चैनपुरिया तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांट्गण

विरूद्व

1. ऊंकारलाल पिता पूरा जाति रावत निवासी चैनपुरिया तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़
2. भूमिधारी तहसीलदार बडीसादडी तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्ट्गण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बडीसादडी
प्रकरण संख्या 03/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2017

उपस्थित– 1. सत्यनारायण ईनाणी– अधिवक्ता अपीलान्ट्गण
2. विजय कुमार जैन– रेस्पोडेन्ट सं. 1
3. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2

निर्णय

दिनांक 03.08.2022

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा चैनपुरिया तहसील बडीसादडी की खाता सं. 13 मे आराजी नम्बर 566 रकबा 1.51 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। उक्त कृषि आराजीयात रेस्पोडेन्ट वादी के कब्जे व स्वामित्व की होकर रेस्पोडेन्ट वादी शांतिपूर्वक काश्त कर रहा है, जितनी आराजी राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड नक्शे मे भी दर्ज है, और उस पर रेस्पोडेन्ट वादी काबिज होकर काश्त कर रहा है। विगत 6 माह से अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण जबरन वादी की आराजी मे दखलंदाजी करने तथा आराजी के पूर्वी भाग को अपना बताकर विवाद पैदा कर रहे है, जबकि जैसे नक्शे मे दर्ज है उसी अनुसार रेस्पोडेन्ट वादी अपनी आराजी पर काबिज है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रतिवादीगण अपीलान्टगण रेस्पोडेन्ट वादी से विवाद कर पूर्वी भाग पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे है जिनको रोका जाकर स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

उक्त आशय का वादपत्र रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण की ओर से अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय के द्वारा अपीलान्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र पंजीबद्ध किया जाकर अपीलान्टगण प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 व रेस्पोडेन्ट सं. 2 प्रतिवादी सं. 3 को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया जिस पर अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की ओर से अण्डर टेकिग प्रस्तुत की जाकर जवाब हेतु अवसर चाहा गया। जिसमे आगामी तारीख पेशी वास्ते जवाब दिनांक 06.06.2017 नियत की गई उससे पूर्व ही बिना पक्षकारान को सूचित किये पत्रावली दिनांक 02.06.2017 को लोक अदालत मे नियत की गई। बिना किसी लिखित राजीनामे के अपीलान्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने की डिक्री पारित की गई।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलान्टगण प्रतिवादीगण 1 व 2 ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। जो इस न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टगण सम्मन नोटिस की पालना मे जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

वक्त बहस उभयपक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने से उभयपक्षकारान जरिये अधिवक्ता इस न्यायालय मे लिखित राजीनामा प्रस्तुत किया गया। साथ ही राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने राजीनामे पर किसी प्रकार की आपत्ती व ऐतराज नहीं किया है। लिखित राजीनामे मे यह निवेदन किया गया है कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 02.06.2017 को रेस्पोडेन्ट वादी ने अपीलान्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री आराजी नम्बर 566 रकबा 1.51 हैक्टेयर के सम्बन्ध मे पारित करवाई है। प्रकरण वास्तव मे नक्शा ट्रेस मे गलत परिवर्तन करने का है, जिसमे अपीलान्ट प्रतिवादिया धापुबाई का रकबा चारागाह भूमि मे अंकित कर दिया था। अपीलान्ट प्रतिवादिया धापुबाई को चारागाह भूमि मे काबिज बता दिया था। जिसके सुधार हेतु अपीलान्ट प्रतिवादिया धापुबाई ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जो दिनांक 11.04.2016 को निर्णित होकर रेकार्ड की गलती सुधार व आराजी नम्बर 730 रकबा 1.08 हैक्टेयर चारागाह मे परिवर्तित करने व आराजी नम्बर 728 किस्म चारागाह मे से 1.08 हैक्टेयर अपीलान्ट प्रतिवादिया धापुबाई के नाम दर्ज करने का आदेश दिया परन्तु न्यायालय आप मे यह अपील विचाराधीन होने से धारा 136 के प्रार्थना पत्र मे पारित आदेश की पालना नही हो रही है। जिससे उभयपक्षकारान के मध्य आपसी समझौता हो गया है जिससे रेस्पोडेन्ट वादी को कोई स्थायी निषेधाज्ञा नही चाहिये। राजीनामे मे अपील स्वीकार कर प्रकरण सं. 3/2017 निर्णय दिनांक 02.06.2017 को निरस्त करने का पक्षकारो के मध्य राजीनामा हो जाना अंकित किया व अंत मे राजीनामा उभयपक्षकारान स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री दिनांक 02.06.2017 को निरस्त करने का निवेदन किया। राजीनामा उभयपक्षकारान मय अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया जिसको न्यायालय द्वारा विधिनुरूप होने से तस्दीक किया गया। राजीनामा स्वीकार किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

जाकर राजीनामे मे वर्णित तथ्यो के अनुसार अपील अपीलान्टगण स्वीकार की जाना न्यायोचित है।

फलस्वरूप अपील अपीलांटगण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बडीसादडी प्रकरण संख्या 03/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2017 निरस्त की जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.08.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व डिक्री की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटायी जावे।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

संख्यांक 9

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

अपील सं. 137/2017 /डिक्री

(1) श्री ~~डोगालाल पिता रामा जाति रावत निवासी चैनपुरिया तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़।~~
(2) श्रीमती धापुबाई पत्नि डोगालाल जाति रावत निवासी चैनपुरिया तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़।

बनाम

(1) श्री ~~ऊंकारलाल पिता भूरा जाति रावत निवासी चैनपुरिया तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़।~~
(2) भूमिधारी तहसीलदार बडीसादडी तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़।

-रेस्पोडेन्ट

-अपीलान्ट

विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, बडीसादडी दि. 02-06-2017 प्रकरण सं. 03/2017 अन्तर्गत धारा 188 रा.का.अ. 1955 को अपीलान्ट की ओर से निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : यह अपील दिनांक 03-08-2022 विजयकुमार जैन रेस्पो. 1, अधिवक्ता श्री सत्यनारायण रांका रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री प्रेमचन्द स्वर्णकार राजकीय अभिभाषक रेस्पो. सं. 2 की उपस्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष सुनवाई के लिये आने पर यह आदेश दिया जाता है कि - अपील अपीलांटगण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बडीसादडी प्रकरण संख्या 03/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 02-06-2017 निरस्त की जाती है।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि -- रुपये हैं, -- द्वारा -- द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे -- द्वारा दिये जाने हैं।

यह आज दिनांक 03-08-2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

श्री हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपील खर्चे :

दिनांक : 03-08-2022

अपीलान्ट	रूपये	रेस्पोडेन्ट	रूपये
1. अपील के ज्ञापन के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. आदेशिकाओं की तामील		3. आदेशिकाओं की तामील	
4. .... रू. पर प्लीडर की फीस	शून्य	4. .... रू. पर प्लीडर की फीस	शून्य
योग		योग	